न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—288/2019/223 आर.टी.एक्ट (2019/00288)

1. भंवरलाल पुत्र नारायण
2. सुरेश पुत्र नारायण
3. रामेश्वर उर्फ रामा पुत्र नारायण
4. पवन पुत्र नारायण
5. अनोप पत्नि नारायण
   समस्त जाति कुम्हार निवासीगण—करकेडी तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर।
6. पाबूराम पुत्र लादूराम
7. प्रभुराम पुत्र लादूराम
8. रामचन्द्र पुत्र रामबक्श
9. घनश्याम दत्तक पुत्र गोविन्द
   समस्त जातिगण बावरी, निवासीगण—करकेडी, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर।
2. सप्तऋषि पुत्र जाति ब्राहम्ण, निवासी करकेडी, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 02.11.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ जिला अजमेर, राजस्व वाद संख्या 88/2018.

उपस्थितः—

1. श्री शंकरलाल चौधरी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01
3. रेस्पोडेंट संख्या 02 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—20.01.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 88/2018 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.11.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 ने 2 के विरूद्ध एक वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी हेतु नोटिस जारी किए। प्रतिवादी का नोटिस वल्दीयत व अपूर्ण पते के कारण अदम तामील प्राप्त हुआ तथा वाद में अंकित आराजी बावत पटवारी हल्का से रिपोर्ट भी तलब की गई। जिसके पश्चात न्यायालय ने जो मौका रिपोर्ट दिनांक 18.10.2018 तलब की गई जिसमें वर्तमान अपीलांट का कब्जा लगभग 50–60 वर्षो से दर्शाया गया है। परंतु उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ ने वर्तमान अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बिना अपने निर्णय दिनांक 2.11.2018 को वादी का वाद डिक्री कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 88/2018 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.11.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 02 अनुपस्थित।

अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जाब्ता दीवानी पर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी के समक्ष मौका पर्चा दिनांक 18.10.2018 पत्रावली पर मौजूद थी जिसमें स्पष्ट अंकन है कि वाद में अंकित आराजी पर पिछले लगभग 50–60 वर्षो से अपील में वर्तमान प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वाद में अंकित आराजी वर्षो पूर्व वर्तमान अपीलांटस को उपखण्ड अधिकारी किशनगढ द्वारा आवंटन की गई थी जिसका इन्द्राज जमाबंदी सवंत 2022 से 2025 में अंकित है। इस कारण वर्तमान अपीलांटस को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया जाना आवश्यक था तथा वे वाद में आवश्यक पक्षकार थे, परन्तु प्रार्थीगण को सुने बिना निर्णय दिनांक 02.11.2018 प्रार्थीगण की पीठ पीछे पारित किया गया है जिसे वर्तमान अपीलांट प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार है। इसलिए उक्त निर्णय दिनांक 02.11.2018 से व्यथित व हितबद्व प्रभावित पक्षकार है। इसलिए उनको उक्त निर्णय के विरूद्व अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी/अपीलांट का उक्त आराजी में हित निहित होने एवं प्रभावित पक्षकार होने से वे उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ द्वारा पारित निर्णय से व्यथित एवं पीडित पक्षकार होने से अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना आवश्यक है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करते हुये प्रस्तुत अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 के दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा किए गए कथन विरोधाभासी है एंव प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए वह किसी भी रूप से सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अपीलार्थी व्यथित व हितबद्ध पक्षकार की श्रेणी में नहीं होने से उसे पक्षकार संयोजित नहीं किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र में पक्षकार मुर्तिब नहीं था तथा ना ही वह अपीलाधीन विवादित आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त प्रकरण में दिनांक 18.10.2018 की मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का करकेडी प्रथम, द्वितीय व भूअभिलेख निरीक्षक के अनुसार ग्राम करकेडी के खसरा नम्बर 166/1(नवीन खसरा नम्बर 166) रकबा 15 बीघा, खसरा नम्बर 166/2(नवीन खसरा नम्बर 1201/166) रकबा 16–14 व खसरा नम्बर 183 रकबा 16–13 कुल किता 3 रकबा 38–07 उपरोक्त भूमि ग्राम करकेडी की जमाबंदी संख 2070–73 के खाता संख्या 573 में सप्तऋषि वल्द कौम ब्राहम्ण साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है। उक्त रिपोर्ट अनुसार व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुरूप अपीलांट का उक्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है ना ही उक्त जमाबंदी में कहीं पर कोई नाम दर्ज है। अपीलांट मात्र एक अतिक्रमी की हैसियत से उक्त भूमि पर काबिज है जिसे किसी भी प्रकार से वर्तमान प्रकरण में हितबद्ध व पीडित पक्षकार की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है, ना ही अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में ऐसे कोई दस्तावेजात प्रस्तुत किए है जिससे यह सिद्ध हो सके की अपीलांट द्वारा उसे अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाए जाने से उसके किस प्रकार से हित प्रभावित हुए है। यदि उक्त विवादित आराजीयात पर अपीलांट का कब्जा भी है तो केवल मात्र अतिक्रमी की हैसियत से अपीलांट को उक्त प्रकरण में हितबद्ध व पीडित पक्षकार की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। वादग्रस्त आराजी वर्तमान में सिवायचक दर्ज होने से अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है अपीलांट का विवादित भूमि में कोई हिस्सा नहीं है तथा ना ही वे खातेदार है। अपीलांट ने अपने समर्थन में कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे साबित हो कि विवादित आराजी में उनके हक व अधिकार प्रभावित हो रहें है। इस बाबत माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत 2020 आर0बी0जे0 पेज 569 के अनुसार :–

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908– धारा 96–: ***जब अपीलांट यह बताने में असमर्थ रहे कि डिक्री का उन पर किस प्रकार से विपरीत प्रभाव पडेगा जिसके कारण से वह व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं, व डिक्री के खिलाफ अपील करने के अधिकारी है, अपीलांट व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आते है इस कारण अपील करने के दिया गया उनका प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया।***

अतः अपीलांट का प्रस्तुत अपील में किसी भी तरह से विधिक अधिकार नहीं होने से उन्हें वर्तमान प्रकरण में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं किए जाने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 इसी स्तर पर खारिज किए जाने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज कि जाती है।

7. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. खारिज किये जाने से अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 88/2018 में

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.11.2018 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

20/01/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner